to allow the use of Foreign Trade Marks while granting Industrial Licences or clearing foreign collaborations;

(b) whether it is also a fact that many of the companies are using foreign trade marks, even though they are specially forbidden to use them; and

(c) what is the existing system for monitoring the use of trade marks so as to see that the condition of not using foreign trade marks is adhered to and what action is taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) While approving foreign collaborations, a condition is laid down that the use of foreign brand names will not be allowed on products meant for internal sales.

(b) and (c) Under the existing law, there is no restriction on the use of foreign trade marks provided it does not involve any direct or indirect consideration in foreign exchange. Any trade mark can be used without registration or before or after the expiry of registration without the protection afforded by the Trade and Merchandise Marks Act.

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

2311. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड कंपनी द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) भोपाल गैस पीड़ितों में इस धनराशि के कब तक बांटे जाने की संभावना है और भुगतान किस प्रकार किया जायगा ; और

(ग) भोपाल गैस पीड़ितों को राहत के तौर पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजे के रूप में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ख) गैस पीड़ितों को मुआवजे की राशि के वितरण की प्रक्रिया मुआवजे की राशि की प्राप्ति के पश्चात् ही आरम्भ हो सकती है ।

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों पर कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीयन एवं कार्यवाही), योजना, 1985 के नाम से जानी जाने वाली एक योजना बनाई गई है और मुआवजे की राशि जब भी प्राप्त होगी इस योजना के अनुसार वितरित की जाएगी ।

(ग) गैस पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 55 करोड़ रुपये का मध्यावधि ऋण है ।

Auto parts Research and Development Centre in Punjab

2312. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Government of Punjab has urged the Central Government to sanction a UNDP funded Auto Parts Research and Development Centre in that State;

(b) if so, since when this proposal is pending with the Central Government; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in the matter?